

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधि० सं०-मं०-01/मंत्रिपरिषद्-03/2013.....दिनांक-

अक्टूबर, 2013

--:: अधिसूचना ::--

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

--:: संशोधन ::--

उक्त नियमावली, 1979 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-5 'गृह विभाग' के अधीन उप शीर्षक (ख) में उल्लिखित शब्द "कारा" शब्द "कारा एवं सुधार सेवाएँ" तथा उसके अधीन क्रमांक-26 में उल्लिखित शब्द "कारा निदेशालय तथा महानिरीक्षक, कारा" शब्द "महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०-01/मंत्रिपरिषद्-03/2013.....1465.....दिनांक- २२ अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव